

आवेदन आईडी नं.: .....

वैधता अविध: स्वीकृति पत्र की तारीख से वैधता (एचएल के लिए 90 दिन और एलएपी के लिए 60 दिन)

# सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी) और मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)

ऋण का प्र	•			संपत्ति पर				वाणिज्यिक	संपत्ति	न की खरीद 🗆	
अन्य 🗆	(कृपया	उल्लेख करें)					)				
और एसए	मएफजी	) के सबसे महत्वपूर्ण नियम इंडिया होम फाइनेंस कं. लि ल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई-600	. (ए	सएमएफजी गृहः	शक्ति) रि	जेसका पंजीकृत क	ार्यालय कॉर	मरज़ोन आ			
भाग 1	(ब्याज	दर और शुल्क/प्रभार)									
1	स्वीकृत	ऋण राशि (रुपये में) = ए	सए								
2	संवितरण अनुसूची चरणों में या 100% अग्रिम भुगतान।				कृपया जो लागू हो, उसे टिक करें पूर्ण □ आंशिक / चरणवार □						
	(i) यति	द्रे पूर्ण संवितरण हो									
	(आपके में उल्लि		दिन र	च विभाजन से ब्याज संचित होता है, इसलिए संबंधित तालिका मृल्यों सहित चुकौती अनुसूची चेक सींपे जाने की			स्वीकृत राशि = रुपये कुल ब्याज राशि = रुपये				
	*स्वीकृति की तारीख को प्रचलित दर के अनुसा वाली कुल ब्याज राशि			सार ऋण की पूरी	अवधि के	ं दौरान ली जाने	3				
	कर्जदार	द्वारा भुगतान की जाने वाल	ी कुल	न राशि (स्वीकृत	+ कुल ब	याज)					रुपये
(ii) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण उल्लेक करें  केवल तभी लागू जब संवितरण कई किश्तों में किया व (चुकौती अनुसूची चेक सौंपने की तारीख के बाद साझा			या गया ह	हो	संवितरण किश्तों में निर्धारित/अनुरोध किए जाने पर, चेक सौंपने वे बाद ईएमआई शुरू होगी। तब तक कर्जदार हर महीने संवितरित राशि पर लागू ब्याज (प्री ईएमआई) का मासिक भुगतान करेगा और प्री ईएमआई का ऐसा प्रत्येक मासिक भुगतान ऋण सारांश अनुसूची में निर्दिष्ट ब्याज दर पर होगा।						
3	3 ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)				महीनों में =						
4	किश्तों	का विवरण									
	বি	केश्तों का प्रकार		ईएमआई की संख्या ईएमआई (		(रु.) स्वीकृति के बाद चुकौती की शुरुआत		की श्रुआत			
		मासिक					हर महीने की 7 तारीख		——————— नारीख		
5		<b>का प्रकार</b> उचित निशान लगाएं)		फिक्स्ड □ सेमी फिक्		ड □ फ्लोटिंग □					
	ब्याज व	दर (%)									
6	फ्लोटिंग	ा ब्याज दर के मामले में 3	गतिरि	क्त जानकारी*							
संदर्भ बेंचमार्क प्रसा		ार (%) (एस) अंतिम दर (%) आर = (		दर (%) आर = (र्ब	ो) - (एस)	) - (एस) रीसेट संदर्भ बेंचमार्क में आवधिकता बदलाव का प्रभा (महीने) ('आर' में 25 बीपी बदलाव पर, में बदल		व का प्रभाव में 25 बीपीएस			
								बी	एस	ईएमआई (म्.)	ईएमआई की
आरपीएलआर						तिमा	 ही	(₹.)	संख्या		
7 शुल्क/प्रभार											
-	3						राशि (रु.)	) या प्रतिश	त (%)	जो भी लाग ह	 डो
आरई (ए) को देय			एकमुश्त/आवर्ती		अग्रिम एकत्रित = यू	सं	राशि (रु.) या प्रतिशत (%) जो भी लागू हो संवितरण से वित्तपोषित/कटौती = एफ		शुल्क = (टी)		
			_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·				·



Nayi	Asha. Naya Vishwas.					
(i)	आवेदन शुल्क/आईएमडी शुल्क	एकमुश्त				
(ii)	प्रसंस्करण शुल्क/प्रभार	एकमुश्त				
(iii)	प्रलेखन शुल्क (केवल संवितरण मामलों के लिए)	एकमुश्त				
(iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)					
आरई	(बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को व	देय				
(i)	सीईआरएसएआई शुल्क  1. रु. 5 लाख तक के ऋण (मूल फाइलिंग और संशोधन के लिए) के लिए= रु. 60/-  2. रु. 5 लाख से अधिक के ऋण के लिए (मूल फाइलिंग और संशोधन के लिए) = रु. 110/-	एकमुश्त				
(ii)	बीमा प्रभार	एकमुश्त				
(iii)	भारतीय स्वास्थ्य संगठन (आईएचओ)	एकमुश्त				
(iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)					
	कुल					
_	निवल संवितरित राशि	वितरित राशि "स्वीकृत	लोन राशि (एसए)"	- "संवितरण से वित्तपोषित/क रु.	टौती की राशि (एफ) =	
8	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%) एपीआर % की गणना के लिए गृहशक्ति वेबसाइट लिंक देखें: https://www.grihashakti.com/apr-calculator.aspx					
9	आकस्मिक प्रभार का विवरण (रु.	या % में, जैसा ला	ग् हो)	T		
(i)	प्रोसेसिंग शुल्क/प्रभार			ऋण राशि का 3% तक		
(ii)	आवेदन शुल्क/आईएमडी शुल्क			रु. 10000/- तक		
(iii)	प्रलेखन शुल्क (केवल संवितरित मामलों के लिए)			रु. 5000/- तक		
(iv)	ब्याज दर रूपांतरण शुल्क/ऋण ब्याज प्रकार में बदलाव के लिए स्विच शुल्क प्रभार			बकाया मूल राशि के 1.00%	से अधिक नहीं	
(v)	चेक/ईसीएस/एनएसीएच वापसी शुल्कः			रु. 500/- प्रति बार		
(vi)	किसी भी चुकौती में किसी भी संशोधन के लिए स्वैप शुल्क			प्रति स्वैप रु. 600/-		
(vii)	देर से भुगतान शुल्क (भुगतान चूक के लिए लाग्)			दैनिक आधार पर गणना की गई, प्रासंगिक देय तारीख से वास्तविक भुगतान/चूक के सुधार की तारीख तक देय, अतिदेय ईएमआई का 2% प्रति माह है।		
(viii)	एचएल से एनएचएल में रूपांतरण			ब्याज की लागू दर में प्रति व	ार्ष 2% की वृद्धि होगी	
(ix)	दंड प्रभार इस ऋण समझौते के निष्पादन पर एसएमएफजी गृहशक्ति के पास प्रतिभूत परिसंपत्तियों से संबंधित हकदारी दस्तावेजों को जमा करने/पुनः जमा करने में कर्जदार द्वारा 60 दिनों (साठ दिन) की देरी के लिए या जैसा एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा कर्जदार को लिखित रूप में सूचित किया जा सके			बकाया ऋण राशि पर एक प्रतिशत (1%) प्रति वर्ष, दिन-प्रतिदिन के आधार पर गणना की जाएगी, जो एसएमएफजी गृहशक्ति की संतुष्टि के लिए च्क/विलंब की तिथि से ऐसे चूक के सुधार की तिथि तक देय होगी।		
(x)	एनओसी, नो इयू सर्टिफिकेट, आरपीएस, ब्याज प्रमाणपत्र, दस्तावेजों की सूची (एलओडी), खाते का डुप्लिकेट विवरण'''', लोन समझौते की प्रति आदि			₹. 500/-		
(xi)	संपत्ति के मूल स्वामित्व विलेख की छायाप्रति के लिए शुल्क			হ. 1000/-		
(xii)	संवितरण के बाद लोन निरस्तीकरण शुल्क			रु. 5000/-		
(xiii)	मूल दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क			रु. 1000/-		
(xiv)	पूर्वसमापन पत्र शुल्क			₹. 500/-		
(xv)	वार्षिक रखरखाव शुल्क (एएमसी ऋण के प्रथम संवितरण के वर्षगांठ माह पर वार्षिक आधार पर लगाया जाएगा)			₹. 1000/-		
	•			•		



(xvi)	संपार्श्विक हैंडलिंग शुल्क	रु. 3000/-
(xvii)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)	₹
(xviii)	पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक या पूर्ण)***	

	ब्याज दर का प्रकार	कर्जदार	लोन का उद्देश्य	विवरण	शुल्क
(xviii A)	फिक्स्ड	व्यक्तिगत व्यक्तिगत एमएसएमई/एकमात्र	कोई भी	स्वयं के स्रोत/निधि का उपयोग करके पूर्व भुगतान किसी बैंक/आवास वित्त कंपनी/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी/किसी वित्तीय संस्थान/किसी अन्य स्रोत से कर्ज लेना स्वयं के स्रोत/निधि का	आंशिक/पूर्ण पूर्वभुगतान के लिए कोई पूर्वभुगतान शुल्क देय नहीं होगा 0-60 एमओबी: प्रीपेड राशि का 7% >60 एमओबी प्रीपेड राशि का : 5% 0-60 एमओबी: प्रीपेड राशि का
		स्वामित्व वाली फर्में/गैर-व्यक्तिगत		उपयोग करके पूर्व भुगतान या किसी बैंक/आवास वित्त कंपनी/ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी/ किसी वित्तीय संस्थान/ किसी अन्य स्रोत से कर्ज लेना	7% >60 एमओबी: प्रीपेड राशि का 5%
(xviii B)	फ्लोटिंग	व्यक्तिगत कर्जदार (प्राथमिक और सह- कर्जदार) सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)	बिज़नेस	लागू नहीं	प्रीपेड राशि का 5%
		<ol> <li>टयिक्तगत कर्जदार (प्राथिमिक और सह- कर्जदार)</li> <li>टयिक्तगत कर्जदार (गैर-टयिक्तगत सह- कर्जदार के साथ या बिना)</li> </ol>	बिज़नेस के अलावा अन्य; घर खरीदना, घर का स्वनिर्माण-, प्लॉट + घर का निर्माण, घर का विस्तार, जीणॉद्धार या नवीनीकरण	घर व्यक्तिगत नाम पर होना चाहिए और अंतिम उपयोग घर खरीदने, घर का स्व-निर्माण, प्लॉट + घर का निर्माण, विस्तार, जीणाँद्वार या घर के नवीनीकरण के लिए होना चाहिए।	आंशिक/पूर्ण पूर्व भुगतान के लिए कोई पूर्वभुगतान शुल्क देय नहीं होगा
(xix)	xix) कर और लेवी		और लेवी लीवर्यों को छोड़कर होंगे और साथ ही जो वस्तु एवं सेवा कर की मर्यादा के बिना होगा।		

## ग्राहक के आवेदन की प्रोसेसिंग से संबंधित कोई भी प्रभार जैसे आवेदन शुल्क/आईएमडी शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/प्रभार आदि अ-प्रतिदेय हैं।

पूर्वसमापन अनुरोध शाखाओं में उपलब्ध एसएमएफजी गृहशक्ति पूर्वसमापन अनुरोध फॉर्म में किया जा सकता है। पूर्व समापन अनुरोध एसएमएफजी गृहशक्ति ग्राहक सेवा डेस्क को ईमेल द्वारा या भौतिक प्रति ग्राहक सेवा डेस्क को पंजीकृत डाक द्वारा या शाखा में ग्राहक सेवा अधिकारी को पत्र सौंपकर भेजा जा सकता है। इस दस्तावेज़ में उल्लिखित पूर्व समापन पत्र जारी करने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया की समयसीमा पूर्व समापन पत्र शुल्क प्राप्त होने पर 21 कार्य दिवस है। कृपया ध्यान दें कि पूर्व समापन चेक एसएमएफजी गृहशक्ति शाखाओं में ही जमा किया जाना है। कृपया ध्यान दें कि पूर्व समापन चेक सिर्फ एसएमएफजी गृहशक्ति शाखाओं में जमा किया जाना है। कैलेंडर माह की 02 तारीख को या उसके बाद प्राप्त कोई भी भुगतान उसी महीने में बाद की तारीख में प्रोसेस संसाधित किया जाएगा क्योंकि चालू माह के लिए ईएमआई प्रस्तुत की जाएगी और उक्त अविध के लिए गणना की गई अतिरिक्त ब्याज राशि वापस की जाएगी।

यदि पूर्वसमापन का भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान माध्यम की मदद से किया जाता है, तो ग्राहक को भुगतान लेनदेन की तारीख से 3 दिनों के भीतर ग्राहक सेवा/शाखा को सूचित करना होगा और अनुरोध को आगे प्रोसेस करने के लिए किए गए भुगतान के बारे में सूचित करना होगा।

ऊपर वर्णित प्रभार, ब्याज दर, शुल्क, माल एवं सेवा कर आदि ऋण समझौते और अन्य लेनदेन दस्तावेजों की तारीख के अनुसार हैं और ऊपर बताए गए शुल्क समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं। नवीनतम लागू नियम एवं शर्तों, शुल्कों और प्रभारों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.grihashakti.com देखें।



- ब्याज दर में बदलाव की सूचना देने के तरीके: एसएमएफजी गृहशक्ति कर्जदार/रों को ऐसे परिवर्तनों की सूचना लिखित रूप में तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.grihashakti.com के माध्यम से देगा तथा शाखा में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करके भी सूचित करेगा। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट तथा शाखा में प्रदर्शित सूचना पट्ट में ऐसी अद्यतन जानकारी होगी। एसएमएफजी गृहशक्ति रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर) में समय-समय पर किए गए किसी भी संशोधन सिहत निर्दिष्ट ब्याज दर कर्जदार/रों पर बाध्यकारी होगी तथा कर्जदार उससे सहमत होंगे। कर्जदार यह वचन देते हैं तथा पृष्टि करते हैं कि कर्जदार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट तथा/अथवा शाखा में जाकर समय-समय पर लागू होने वाले शुल्क/लागत/ब्याज दर से स्वयं को अद्यतन रखेगा/रखेंगे। कर्जदार/रों द्वारा स्पष्ट रूप से यह समझा जाता है कि ऐसी अद्यतन जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट तथा/अथवा शाखाओं में सूचना पट्ट पर रखना कंपनी की ओर से पर्याप्त अन्पालन होगा।
  - (ii) अधिस्थगन या सब्सिडी
- " (नोट: ऊपर उल्लिखित चेक/ईसीएस/एनएसीएच वापसी प्रभार प्रतिपूरक नहीं हैं और/या वापसी के कृत्य के प्रति किसी भी प्रकार के प्रतिफल नहीं समझे जाने चाहिए और किसी भी तरह से उन्हें इस सुविधा के तहत वसूला गया शुल्क नहीं समझा जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि एसएमएफजी गृहशक्ति इस सुविधा के तहत भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए जारी किए गए साधनों की वापसी और/या अमान्य, नकली या अयोग्य साधन जमा करने को बर्दाश्त नहीं करती है और इसके लिए वसूल किए गए किसी प्रभार का उद्देश्य वापसी के ऐसे कृत्यों को कम करना नहीं है। यहां संग्रह किए गए किसी प्रभार के बावजूद एसएमएफजी गृहशक्ति के पास उपयुक्त सिविल और आपराधिक कानूनों को लागू करने का अधिकार स्रक्षित है।)
- "" नोट: व्यक्तिगत कर्जदारों को व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किसी भी फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर, सह-दायित्वकर्ता(ओं) के साथ या उसके बिना, कोई पूर्वसमापन प्रभार/पूर्व भुगतान प्रभार लागू नहीं होगा।
  - सभी सेमी-फिक्स्ड दर (फिक्स्ड और फ्लोटिंग का संयोजन) ऋण, फिक्स्ड/फ्लोटिंग दर पर इस आधार पर पूर्व-समापन मानदंड लागू होंगे, कि पूर्व-समापन के समय ऋण स्थिर या अस्थिर दर पर है या नहीं। अर्ध-स्थिर दर ऋणों के मामले में, फ्लोटिंग दर के लिए पूर्व-समापन मानदंड तब लागू होगा जब ऋण को निश्चित ब्याज दर अविध की समाप्ति के बाद फ्लोटिंग दर ऋण में परिवर्तित कर दिया गया हो। यह ऐसे सभी सेमी-फिक्स्ड दर ऋणों पर लागू होगा जिन्हें इसके बाद पूर्वसमापन किया गया हो।
- \*\*\*\* कर्जदार को प्रति तिमाही एक बार एसओए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी						
10	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण सन	मझौते का	ऋण समझौते के अनुच्छेद 17 (सेवा	प्रदाता) का संदर्भ लें:		
खंड खंड		कर्जदार(रॉ) द्वारा यह सहमति दी जाती है कि एसएमएफजी गृहशक्ति के किसी भी अधिकार से पूर्वाग्रह के बिना, ऋण और उसके उपयोग और/या कर्जदार(रॉ) के दायित्वों और/या कर्जदार(रॉ) द्वारा इसके नियमों के अनुपालन की निगरानी करने और/या एसएमएफजी गृहशक्ति को देय राशि या उसके किसी भाग की वसूली करने के लिए एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा उठाए जाने वाले सभी आवश्यक कार्य/उपाय ऐसे अन्य व्यक्ति (कंपनी या निगमित निकाय सहित) द्वारा और/या उसके माध्यम से किए जा सकते हैं, जिन्हें समयसमय पर एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा और/या इस संबंध में नियुक्त किया जाए और एसएमएफजी गृहशक्ति हर समय ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसे एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा नियुक्त किया जाए, के साथ कर्जदार(रॉ) और/या ऋण से संबंधित सभी दस्तावेज, खातों के विवरण और अन्य जानकारी साझा करने का हकदार होगा। इसके अलावा, कर्जदार स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हैं कि एसएमएफजी गृहशक्ति को, स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियां संचालित करने के अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियां संचालित करने के अपने अधिकारों से पूर्वाग्रह के बिना, एसएमएफजी गृहशक्ति की पसंद के एक या अधिक तृतीय पक्षों/वसूली एजेंट को नियुक्त करने और ऐसे तृतीय पक्षों/वसूली एजेंट को एसएमएफजी गृहशक्ति की ओर से भुगतान न की गई सभी राशियों को एकत्रित करने और उससे संबंधित या उसके प्रासंगिक सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को संपादित करने और निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार और प्राधिकार है, जिसमें कर्जदार के कार्यालय या निवास में प्रवेश करना, देय				
		राशि प्राप्त करना और आम तौर पर उन सभी वैध कार्यों को निष्पादित करना शामिल है, जिन्हें तृतीय पक्षा/वसूली एजेंट ऐसे प्रयोजनों के लिए उचित समझे।				
	ऋण समझौते का खंड जिसमें शिकायत निवार					
11	विवरण दिया गया है	ण तत्र का	एचएल समझौते में खंड 14.11 (ग्राहक सेवाएं और शिकायत निवारण) का संदर्भ लें और एलएपी समझौते में धारा 14.8 और एमआईटीसी और केएफएस के खंड 26 (शिकायत निवारण) के अन्सार।			
12	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी		18001021003 GRO@grihashakti.com			
13	क्या ऋण अन्य आरई या प्रतिभूतिकरण को हस्तांतरित किया गया है या भविष्य में किया जा सकता है (हां/नहीं)		हां			
14	14 सहयोगात्मक ऋण प्रबंधों (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने की स्थिति में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:					
मूल आरई	मूल आरई का नाम, उसके वित्तपोषण अनुपात के साथ साझेदार अ		गरई का नाम उसके वित्तपोषण के अनुपात के साथ	ब्याज की मिश्रित दर		
	लाग् नहीं		लागू नहीं लागू नहीं			
15	डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विधि	शेष्ट खुलासे प्र	स्तुत किए जा सकते हैं:			



(i)	आरई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक- अप अवधि, जिसके दौरान कर्जदार से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	
(ii)	वसूली एजेंट के रूप में कार्यरत और कर्जदार से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	लागू नहीं

16. ऋण का प्रयोजन/अंतिम उपयोग (कृपया उस प्रयोजन/अंतिम उपयोग पर एकल निशान (✔) लगाएं जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है)

		•	
एचएल-बैलेंस ट्रांसफर	एचएल-नई खरीद	एचएल-बिल्डर खरीद	
एचएल-पुनर्विक्रय खरीद	एचएल-प्लॉट + ਜਿਸੀਯ	एचएल-स्वयं निर्माण	
एचएल-गृह सुधार/विस्तार/विस्तार	एलएपी-बैलेंस ट्रांसफर (व्यवसाय)	एलएपी-बैलेंस ट्रांसफर (व्यवसाय) और व्यावसायिक प्रयोजन के लिए टॉप-अप	
एलएपी-बैलेंस ट्रांसफर (व्यक्तिगत)	एलएपी-बैलेंस ट्रांसफर (व्यक्तिगत) और व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए टॉप-अप	एलएपी-टॉप-अप या एलएपी-अंतिम उपयोग बिज़नेस उद्देश्य के लिए है	
एलएपी-टॉप-अप या एलएपी-अंतिम उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए है	एलएपी-वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद		

## 17. ऋण के लिए प्रतिभृति/जमानत

ऋण के लिए प्रतिभूति आम तौर पर वित्त पोषित की जा रही संपत्ति और/या किसी अन्य जमानत/अंतरिम प्रतिभूति में, जैसा कि एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा अपेक्षित हो सकता है, प्रतिभूति हित होगी। अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें शामिल है:

- क. संपत्ति का विवरण,
- ख. गारंटी: गारंटीकर्ता/ओं का नाम (अगर कोई है):
- ग. अन्य प्रतिभूति हित (अगर कोई है):

## 18. एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा कर्जदार की जानकारी में उपयोग के लिए विशिष्ट प्राधिकार (विपणन उद्देश्यों सहित)

कर्जदार विशेष रूप से एसएमएफजी गृहशक्ति को किसी भी सूचना के बिना कर्जदार की जानकारी (इसके बाद परिभाषित) (किसी भी खाते या कर्जदार और/या कर्जदार की वित्तीय स्थित, किसी सेवा से संबंधित किसी अन्य जानकारी सिंहत, किंतु तक सीमित नहीं) इन शर्तों और/या एसएमएफजी गृहशक्ति और कर्जदार के बीच किसी अन्य समझौते और/या एसएमएफजी गृहशक्ति और कर्जदार के बीच किसी अन्य समझौते और/या एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा कर्जदार को प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली, ऐसी सभी जानकारी इसके बाद सामूहिक रूप से कर्जदार जानकारी के रूप में संदर्भित) जिसे एसएमएफजी गृहशक्ति उपयुक्त और उचित समझे, जिसमें कहीं भी स्थित इसकी सहायक कंपनियां, सहयोगी, संबद्ध कंपनियां, एसएमएफजी इंडिया समूह की कंपनियां शामिल, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, का खुलासा करने के लिए अधिकृत करता और अनुमति देता है और ऐसी जानकारी का उपयोग नए उत्पादों और/या सेवाएं और/या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे एसएमएफजी गृहशक्ति समझौते के अनुसार अपने सभी या किसी भी हिस्से के अधिकार और/या दायित्व सौंपती, नवीनीकृत या हस्तांतिरित करती है, की पेशकश हेत् किया जा सकता है।

## 19. क) संपत्ति का बीमा

कर्जदार/रों को एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा दिया गया पूरा लोन एसएमएफजी गृहशक्ति की पूर्ण संतुष्टि के साथ पूरा चुकता नहीं किए जाने तक, संपत्ति को हर समय बकाया लोन के बराबर ऐसी बीमा राशि के लिए व्यापक और समग्र बीमा पॉलिसी के साथ बीमित रखने की सलाह दी जाती है। इस नीति में, लोन सुविधा जारी रहने के दौरान एसएमएफजी गृहशक्ति एकमात्र लाभार्थी होगी। कर्जदार प्रत्येक नवीनीकरण/नई पॉलिसी के 15 दिनों के भीतर बीमा कवर और पॉलिसी की एक प्रति भी भेजेंगे।

## ख) कर्जदारों का बीमा

कर्जदार पॉलिसी/पॉलिसियों के तहत एकमात्र लाभार्थी के रूप में एसएमएफजी गृहशक्ति के साथ अपने लिए स्वास्थ्य और/या जीवन बीमा स्रक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

#### 20. ऋण के संवितरण के लिए शर्तें

एसएमएफजी गृहशक्ति ऋणी को गृह ऋण का संवितरण नहीं करेगा जब तक कि गृह ऋण स्वीकृती पत्र और ऋण समझौतें में उल्लेखित शर्तें एसएमएफजी गृहशक्ति की संतुष्टि और विवेक के लिए अनुपालित नहीं होती हैं. शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है:

- क. ऋण समझौता और इस तरह के अन्य सहायक दस्तावेजों का निष्पादन
- ख. किस्तों के भुगतान के प्रति उत्तर दिनांकित चेक/ईसीएस आदि की प्रस्तुति
- ग. एसएमएफजी गृहशक्ति के पक्ष में प्रतिभूति का निर्माण
- घ. संवितरण का उपयोग संपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण या विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के प्रति होना चाहिए
- ड. सभी तथ्यों का गैर प्रकटीकरण एसएमएफजी गृहशक्ति के उधार देने निर्णयों को प्रभावित कर सकता है
- च. अपने रोजगार/ संपर्क के विवरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन की एसएमएफजी गृहशक्ति को सूचना दें
- छ. लिखित रूप में (एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार) ऋण के संवितरण के लिए अनुरोध करें. हाथ से, मेल द्वारा या एसएमएफजी गृहशक्ति की वेबसाइट के माध्यम से या इस प्रकार के अन्य रूप/ढंग जैसा कि समय - समय पर एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा घोषित किया जा सकता है, से किए जाने पर, ऐसा अनुरोध विधिवत रूप से किया गया माना जाएगा
- ज. सुनिश्चित करें कि ऋणी के पास संपत्ति (प्रतिभूति) पर पूर्ण, स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व है और उक्त संपत्ति बिल्कुल भार रहित और किसी भी दायित्व के मुक्त है,
- झ. सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियां नहीं पैदा हुई हैं जो ऋणी/ऋणियों के लिए वर्तमान ऋण के ऋण समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बना दें
- न. स्निश्चित करे ऋणी द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋणी करार के मामले में चूक की कोई घटना नहीं हुई है

## निम्नलिखित शर्तें अन्य सभी ऋणों (होम इक्विटी ऋण, गैर आवासीय परिसर ऋण और टॉप अप ऋण को छोड़कर) के लिए लागू होंगी जिसमें ऋणी:

- (i) स्वीकृति पत्र में यथा विनिर्दिष्ट, अपनी अंशदान राशि (ऋण की राशि से कम फ्लैट की कुल कीमत) का भुगतान करेगा/करेगी
- (ii) निर्माण में प्रगति/देरी, संपत्ति को हुई किसी भी बड़ी क्षति, कर और सांविधिक लेवी और प्रभार जैसा कि समय-समय पर संपत्ति, आदि के संबंध में लागू हो सकते हैं, के गैर-भुगतान से संबंधित विवरणों सहित नियमित रूप से एसएमएफजी गृहशक्ति को जानकारी प्रदान करेगा/करेगी/करेंगें



- (iii) सुनिश्चित करें कि किया जा रहा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार है और उसे संतुष्ट कर चुका है कि परियोजना के लिए सभी आवश्यक मंजूरी विकासकर्ता (संपत्ति के पूनर्विक्रय खरीद के मामले में विक्रेता दवारा) दवारा प्राप्त किया गया है
- (iv) पूर्व में संवितरित किसी भी ऋण राशि की प्राप्तियों के उपयोग पर एसएमएफजी गृहशक्ति को संतुष्ट करें और इसके बारे में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराएँ

#### 21. निर्माण की प्रगति

- क) यदि कर्जदार निर्माण/प्लॉट खरीद के लिए लोन राशि के वितरण से 36 (छत्तीस) महीने के भीतर निर्माण पूरा करने में विफल रहता है, तो एसएमएफजी गृहशक्ति
- i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण लोन को गैर-आवासीय ऋण में परिवर्तित करने;
- ii) लोन सारांश अन्सूची में उल्लिखित गैर-आवास लोन ("एनएचएल ब्याज दर") पर लागू ब्याज दर लागू करें; और/या
- iii) समय-समय पर अधिसूचित आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अन्सार ऐसे अन्य उपाय करने का अधिकार है

## 22. ऋण और ब्याज का पूर्वभ्गतान

लोन समझौते में उल्लिखित नियत तिथि को निर्दिष्ट ईएमआई /पीईएमआई में ऋण चुकाना अपेक्षित है। ईएमआई/पीईएमआई की चुकौती एसएमएफजी गृहशक्ति के पक्ष में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच)/इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस)/पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) के माध्यम से की जानी अनिवार्य है।

ऋणी को स्निश्चित करना चाहिए:

- क. डेबिट किए जाने के लिए ऋणी के विनिर्दिष्ट बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
- ख. ऋण की ईएमआई के पुर्नभुगतान के प्रति दिए गए चेकों/लिखतों पर भुगतान निरस्त न करना/न रोकना. इसके अलावा, उस खाते को परिवर्तित या बंद न करना जिस पर पुनर्भुगतान लिखतों को अंकित किया गया है (जब तक कि वह पुर्नभ्गतान के लिए एसएमएफजी गृहशक्ति से यथा सहमत वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेता/लेती है)।
- ग. संगत देय तिथि को या से पहले किश्त का भुगतान करना, यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो बकाया ऋण राशि और सभी अर्जित ब्याज तुरंत देय बन जाएगी. ऋणी प्रभारों के विवरण में यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- घ. एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा सुझाए गए ऋण के नियमों और शर्तों की अपेक्षा कर्जदार द्वारा ऋण समझौते की शर्तों के तहत सहमत शर्तों में किसी बदलाव की स्थिति में और यदि ऐसे बदलाव कर्जदार के लिए हानिकारक हैं, तो कर्जदार को 60 दिन के भीतर ऋण को किसी अतिरिक्त शुल्क और ब्याज जिसका सहमत ऋण समझौते में उल्लेख नहीं किया गया है, के बिना समयपूर्व बंद करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

कर्जदार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि केवल समय पर चुकौती रिकॉर्ड वाले कर्जदार ही वैध अनुरोध के अधीन दर में कटौती के लिए पात्र होंगे। ऐसे अनुरोध की स्वीकृति एसएमएफजी गृहशक्ति के विवेक पर निर्भर होगी।

## 23. अतिदेय की वसुली के लिए पालन की जाने वाली संक्षिप्त प्रक्रिया

अपचार प्रबंधन पूर्व चेतावनी संकेतों के आधार पर अपचार पूर्व कार्यवाही से शुरू हो जाता है और इसमें विभिन्न विकल्प अर्थात, डाक, फैक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस के माध्यम से और/या याद दिलाने, अनुवर्ती कार्रवाई करने और बकाया राशि का संग्रहण करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त तृतीय पक्ष के माध्यम से ऋण खाते पर बकाया राशि के भुगतान के लिए, समय-समय पर ऋणी को अनुस्मारक भेजना शामिल है. संग्रह की कार्यप्रणाली में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल है।

- क. टेतीकॉलिंग: इसमें ऋणी से फोन पर संपर्क करना और उन्हें चूकी गई देय तिथि के बारे में जागरूक करना और जल्द से जल्द बकाए का भुगतान करने के लिए अनुरोध करना शामिल है।
- ख. फील्ड कलेक्शन: इसमें ऋणी से मुलाकात करना और देय राशि का भुगतान प्राप्त करना शामिल है. यह गतिविधि एसएमएफजी गृहशक्ति के कर्मचारियों या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संचालित की जाएगी. भुगतान वैध रसीद जिसे केवल ऋणी को जाऱी किया जाएगा, के प्रति या तो नकद में या चेक/डीडी के रूप में प्राप्त किया जाएगा।
- ग. एसएमएफजी गृहशक्ति की नीति के अनुसार और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक अपचारी खाते की स्थितियों के आधार पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी. किसी भी ग्राहक के खाते से संबंधित क्रेडिट जानकारी नियामक अधिकारियों द्वारा अधिकृत सभी चार ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को प्रदान की जाती है और अधिक अगर मासिक आधार पर नियामक द्वारा सलाह दी जाती है. सीआईसी में क्रेडिट इतिहास पर पड़ने वाले किसी प्रतिकृल प्रभाव से बचने के लिए यह जाती है कि ग्राहक को ऋण की राशि पर देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए. बंधक/प्रतिभूतियों के प्रवर्तन की वसूली प्रक्रिया किसी अन्य कानून के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कब्जा लेना और बंधक संपत्ति की बिक्री करने, सिहत लेकिन यहीं तक सीमित नहीं, का संबंधित कानून के अंतर्गत अतिदेयों की वसूली के लिए कदम उठाने से पहले ग्राहक को स्चना/अनुस्मारक/नोटिस दिया जाता है।

इसलिए, एसएमएफजी गृहशक्ति अपचारी खाते के विभिन्न श्रेणियों के लिए उचित और प्रभावी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए टेलीकॉलिंग, क्षेत्र दौरा, लिखित संचार और कानूनी कार्रवाई के विवेकपूर्ण मिश्रण का उपयोग करेगा।

## 24. वार्षिक बकाया राशि विवरण ग्राहक के अनुरोध पर जारी किया जाएगा

## 25. ग्राहक सेवा

दस्तावेजों की आवश्यकता सहित किसी भी सेवा से संबंधित समस्या एसएमएफजी गृहशक्ति को निम्निलिखित चैनलों के माध्यम से संबंधित की जा सकती है:

क. हमारे टोल फ्री नंबर 18001021003 पर संपर्क केंद्र से टेलीफोन पर संपर्क द्वारा;

समय: प्रात: 9.30 बजे से सायं 6.30 बजे तक (सोमवार से शनिवार)\*

\*सार्वजनिक अवकाश और हर महीने के चौथे शनिवार को छोड़कर

- ख. ई-मेल द्वारा: grihashakti@grihashakti.com
- ग. एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लि. के 503 और 504, 5वीं मंज़िल, जी-ब्लॉक, इंस्पायर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 स्थित कॉपीरेट कार्यालय या कॉमरज़ोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंज़िल, क्र. 111, माउंट पूनामल्ली रोड,पोरुर, चेन्नई-600116, तमिलनाडु स्थित पंजीकृत कार्यालय में ग्राहक सेवा को संबोधित लिखित पत्र के माध्यम से
- घ. शारीरिक रूप से सेवा शाखा पर जाकर और मुलाकात के घंटों के दौरान अनुरोध करने के माध्यम से
  - शाखा का समय: सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक (सोमवार से शनिवार)\*
  - भुगतान का समय: सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)\*
     सुबह 9:30 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक (शनिवार)\*

'सार्वजनिक छुट्टियों और महीने के पहले शनिवार को छोड़कर

सांकेतिक टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) के साथ नीचे दी गई सूची के अनुसार ग्राहक निवेदन करता है:

- i. दस्तावेजों की फोटो प्रतियां अनुरोध करने की तारीख से 15 कैलेंडर दिवस। आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होता है
- ii. मूल दस्तावेज़ लोन के बंद होने/हस्तांतरण की तारीख से 30 कैलेंडर दिवसों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे
- iii. लोन अकाउंट स्टेटमेंट निवेदन प्राप्ति के 4 कैलेंडर दिनों के अंदर
- iv. निवेदन प्राप्ति के 40 कैलेंडर दिनों के अंदर ईएमआई की कटौती
- v. देर से भुगतान शुल्क की वापसी अनुरोध प्राप्त होने के 45 कैलेंडर दिनों के भीतर (एसएमएफजी गृहशक्ति के पूर्ण विवेक पर)
- vi. अन्य सभी प्रकार के सेवा निवेदन निवेदन करने के दिनांक से 30 कैलेंडर दिन



#### 26. शिकायत निवारण

एसएमएफजी गृहशक्ति के लिए शिकायत निवारण की प्रक्रिया में 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का समावेश होगा ताकि सुनिश्चित हो कि शिकायतों के साथ सक्षमता, पारदर्शिता और उचित तरीके से बर्ताव किया जा सके. यदि प्रदान की गई सेवाओं से कर्जदार संतुष्ट नहीं है तो कर्जदार किसी भी निम्नलिखित चैनल के माध्यम से किसी शिकायत/असंतोष के लिए एसएमएफजी गृहशक्ति से संपर्क कर सकता है. सभी 3 स्तरों के लिए ग्राहक को पावती/प्रत्युत्तर देने का प्रतिवर्तन समय (टीएटी) 7 दिनों का होगा:

स्तर 1: क. हमारे टोल फ्री नंबर 18001021003 पर संपर्क केंद्र के साथ टेलीफोन पर संचार दवारा:

समय: प्रात: 9.30 बजे से सायं 6.30 बजे तक (सोमवार से शनिवार)\*

'सार्वजनिक अवकाश और हर महीने के चौथे शनिवार को छोड़कर

- ख. ई-मेल दवारा: grihashakti@grihashakti.com
- ग. 503 और 504, 5वीं मंज़िल, जी-ब्लॉक, इंस्पायर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय या कॉमरज़ोन आईटी पार्क, टॉवर बी,पहली मंज़िल, क्र. 111, माउंट पूनामल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई-600116, तमिलनाडु स्थित पंजीकृत कार्यालय में ग्राहक सेवा को संबोधित लिखित पत्र के माध्यम से।
- घ. सर्विस शाखा में खुद कस्टमर सर्विस ऑफिसर से मिलकर निम्नलिखित मुलाकात के समय के दौरान उक्त शाखा के पास निवेदन किया जा सकता है: शाखा का समय: सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे (सोमवार से शनिवार)\*;
  श्रास्त्र कर समय: सुबह 0:20 से शाम 6:00 बजे (सोमवार से शनिवार)\*;

भुगतान का समय: सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे (सोमवार से शुक्रवार)'; सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे (शनिवार)' 'सार्वजनिक छुट्टियों और महीने के पहले शनिवार को छोड़कर

स्तर 2: यदि प्राप्त समाधान ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो ग्राहक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ @ CCRC@grihashakti.com पर और/या उपर दिए गए कॉर्पोरेट कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिख सकते हैं।

स्तर 3: यदि ग्राहक अभी भी प्राप्त समाधान से असंतुष्ट है, तो ग्राहक शिकायत निवारण अधिकारी @ GRO@grihashakti.com पर और/या उपर दिए गए कॉर्पोरेट कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिख सकते हैं।

यदि कर्जदार उसे प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है/या एक महीने के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो कर्जदार https://grids.nhbonline.org.in लिंक पर ऑनलाइन मोड में अपनी शिकायत दर्ज करके या शिकायत निवारण सेल, विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, 4थी मंज़िल, कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 पर ऑफ़लाइन मोड में डाक द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के शिकायत निवारण सेल से संपर्क कर सकता है।

एतदद्वारा सहमति व्यक्त की जाती है कि ऋण के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए इसके पक्ष अपने द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण और अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों को संदर्भित करेंगे और पर निर्भर होंगें. उपरोक्त नियमों और शर्तों को ऋणी/ऋणियों द्वारा पढ़ लिया गया है/ऋणी/ऋणियों के लिए पढ़ा गया है और ऋणी/ऋणियों द्वारा समझ लिया गया है. कर्जदार यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें उपर्युक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी) तथा मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) दस्तावेज़ की डुप्लिकेट प्रति प्राप्त हुई है। उपरोक्त नियमों और शर्तों की स्वीकृति और इस दस्तावेज की प्रति की प्राप्ति का सत्यापन करने वाला ऋणीऋणियों का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।/

	सह ऋणी-1	सह ऋणी-2
एसएमएफजी गृहशक्ति के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर		
नोट: एमआईटीसी और केएफएस की इप्लिकेट प्रति कर्जदा	र/रों को सौंपी जानी चाहिए।	